रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 750] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 18, 2018/आश्विन 26, 1940
No. 750] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 18, 2018/ASVINA 26, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 2018

सं. 53/2018-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 1044(अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित और वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित "70 ली काउंट से कम वाले फ्लैक्स यार्न" (एतश्मिन पश्चात जिसे 'विषयगत वस्तु' से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के उप शीर्ष 5306 10 और 5306 20 के अंतर्गत आते हैं, के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने अंतिम निष्कर्ष में, जिसे अधिसूचना संख्या 6/3/2018-डीजीएडी, दिनांक 18 सितम्बर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड 1, में प्रकाशित किया गया था, इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि;

(i) विषयगत वस्तु का विषयगत देश से सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर आयात किया गया है जिसके कारण इसकी भरमार हो गई है ।

(ii) विषयगत देश से प्रश्नगत उत्पाद की भरमार के कारण यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है ।

(iii) यह सारवान क्षति विषयगत देश से विषयगत वस्तु के फालतू आयात के कारण हुई है ।

और उन्होंने घरेलू उद्योग को होने वाली इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत वस्तु जो कि विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित है और भारत में आयातित है, के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है ।

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान, उनका आंकलन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट अधिकारी के उपर्युक्त अंतिम

निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, उक्त विषयगत वस्तुओं, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उन शीर्ष/उप शीर्ष/टैरिफ मद के अंतर्गत आती है जो कि नीचे सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट है, जो कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलत: उत्पादित है या वहां से निर्यातित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है, जो कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्यातकों के द्वारा निर्यातित हैं, और भारत में आयातित है पर उक्त सारणी के कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि की बराबर की दर से प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा:-

सारणी

क्र.सं.	उप शीर्ष या टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	मूलत: उत्पादन और निर्यात करने वाला देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क की राशि/अमे. डॉ./प्रति किलोग्राम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	5306 10 या 5306 20	70 ली काउंट से कम (या 42 एनएम से कम) वाले फ्लैक्स यार्न	चीन जनवादी गणराज्य	झेजियांग किंगडम लाइनेन कं. लि./ जिआंगशू जिंगयुआन फ्लैक्स कं.लि./ झेझिंआग जिंयुआन फ्लैक्स कं.लि.	जिआंगशू जिंगयुआन फ्लैक्स कं.लि. /झेझिंआग जिंयुआन फ्लैक्स कं.लि.	2.42
2.			चीन जनवादी गणराज्य	यिक्शिंग सनसाइन लाइनेन टेक्सटाईल कं.लि.	यिक्शिंग सनसाइन लाइनेन टेक्सटाईल कं.लि.	2.29
3			चीन जनवादी गणराज्य	झेजिंआग एक्सिआग फ्लैक्स टेक्सटाइल कं. लि.	हूझू एक्सिआग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेडिंग कं.लि.	2.77
4.			चीन जनवादी गणराज्य	झेजिंआग गोल्डेन ईगल कं.लि. / झेजिंआग गोल्डन ईगल यिली लाइनेन टेक्सटाइल कं.लि.	झेजिंआग गोल्डेन ईगल कं.लि./ झेजिंआग गोल्डन ईगल स्पान सिल्क कं.लि.	2.02
5.			चीन जनवादी गणराज्य	हांगझू सांगलू सिल्क कं.लि.	हांगझू सांगलू सिल्क कं.लि.	2.71
6.			चीन जनवादी गणराज्य	ग्रेट ईस्टर्न टेक्सटाइल (टोंगलिंग) कं.लि.	निंगबो विन वे ट्रेडिंग कं.लि.	1.30
7.			चीन जनवादी गणराज्य	चांगझू मेयुयान फ्लैक्स टेक्सटाइल कं.लि.	चांगझू मेयुयान फ्लैक्स टेक्सटाइल कं.लि.	2.06
8.			चीन जनवादी गणराज्य	तुंग गा लाइनेन एंड कॉटन (चांगझाऊ) कं.लि.	तुंग गा लाइनेन एंड कॉटन (चांगझाऊ) कं.लि.	0.50
9.			चीन जनवादी गणराज्य	क्रम संख्या 1 से 8 के उत्पादकों से भिन्न अन्य कोई	क्रम संख्या 1 से 8 के उत्पादकों से भिन्न अन्य कोई	4.83

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन 19 अक्तूबर, 2018 से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इसके पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

सुपष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का

52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. 354/380/2018-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th October, 2018

No. 53/2018-Customs (ADD)

G.S.R. 1044(E).—Whereas, in the matter of 'Flax yarn below 70 Lea count' (hereinafter referred to as the subject goods) falling under tariff sub-headings 5306 10 and 5306 20 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from China PR (hereinafter referred to as subject country), and imported into India, the Designated Authority in its final findings, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, *vide* notification No. 6/3/2018-DGAD dated the 18th September, 2018, has come to the conclusion that –

(i) the subject goods have been exported from the subject country to India below its normal value, resulting in dumping;

(ii) the domestic industry has suffered material injury due to dumping of the product under consideration from the subject country;

(iii) the material injury has been caused by the dumped imports of the subject goods from subject country;

and has recommended imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in, or exported from the subject country and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under heading or sub heading or tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating or exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (4), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (5), exported by the exporters as specified in the corresponding entry in column (6) and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (7) of the said Table, namely:-

TABLE

S. No.	Sub Heading or Tariff Item	Description of Goods	Country of Origin or export	Producer	Exporter	Duty Amount USD/KG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	5306 10 and 5306 20	Flax Yarn of below 70 Lea count (or below 42 Nm)	China PR	Zhejiang Kingdom Linen Co., Ltd/ Jiangsu Jinyuan Flax Co., Ltd/ Zhejiang Jinyuan Flax Co., Ltd	Jiangsu Jinyuan Flax Co., Ltd/ Zhejiang Jinyuan Flax Co., Ltd	2.42
2.			China PR	Yixing Sunshine Linen Textile Co. Ltd.	Yixing Sunshine Linen Textile Co. Ltd.	2.29
3			China PR	Zhejiang Axiang Flax Textile Co., Ltd	Huzhou Axiang Import and Export Trading Co., Ltd.	2.77
4.			China PR	Zhejiang Golden Eagle Co. Ltd/ Zhejiang Golden Eagle Yili Linen Textile Co.,	Zhejiang Golden Eagle Co. Ltd/ Zhejiang Golden Eagle Spun Silk Co. Ltd,	2.02

5.			China PR	Hangzhou Sanglu Silk Co. Ltd.	Hangzhou Sanglu Silk Co. Ltd.	2.71
6.			China PR	Great Eastern Textiles (Tongling) Co., Ltd.	Ningbo Win Way Trading Co. Ltd.	1.30
7.			China PR	Changzhou Meiyuan Flax Textile Co., ltd.	Changzhou Meiyuan Flax Textile Co., ltd.	2.06
8.			China PR	Tung Ga Linen & Cotton (Changzhou) Co. , Ltd.	Tung Ga Linen & Cotton (Changzhou) Co. , Ltd.	0.50
9.			China PR	Any other than the producers at Serial numbers 1 to 8	Any other than the producers at Serial numbers 1 to 8	4.83

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the 19^{th} day of October, 2018 and shall be paid in Indian currency.

Explanation.—For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purpose of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. 354/380/2018 -TRU]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2018.10.20 16:49:13 +05'30'